मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

*****

विषय –तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ (I) एवं 243–म (Y) तथा मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 187–चार–ब–आनीविइ–2005, दिनांक 12–07–2005 द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था।

2/– आयोग से निम्नांकित मुद्दों पर अनुशंसा करने की अपेक्षा की गई थी :–

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमों को राज्य तथा पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच वितरण जो संविधान के अधीन उनके बीच विभाजित किये जा सकें तथा समस्त स्तरों पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों का उनके अपने–अपने अंशो का आवंटन।

(दो) करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों का अवधारण, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदेशित की जा सकेंगी या पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी।

(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों और नगरपालिकाओं के सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में।

(चार) पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारनें के, एवं उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन को दुरुस्त करने एवं लागतों की वसूली (प्रयोक्ता–प्रभारों) के लिये आवश्यक अध्युपायों के बारे में।

राज्य वित्त आयोग को अपनी अनुशंसायें दिनांक 1 अप्रेल, 2006 से मार्च 2011 की अवधि हेतु उपलब्ध करानी थी।

3/– अपनी अनुशंसाओं में राज्य वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित आधार/सिद्वांत अपनाये गये :–

1. राज्य द्वारा कराधान इत्यादि के माध्यम से एकत्रित आय का बॅटवारा राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच किया जाये।
2. स्थानीय निकायों को कौन से कर सौंपें जायें।
3. राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग के समक्ष रखे गये मुद्दों पर विचार करके उन पर अनुशंसा की जाये।
4. स्थानीय निकायों को किस आधार पर अनुदान दिया जाये।
5. स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति कैसे सुदृढ़ की जाये।

4/— आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है—

<u>वित्तीय हस्तांतरण संबंधी अनुशंसायें</u>

(अ) ग्रामीण स्थानीय निकायों के संबंध में :—

1. विभाजनीय कोष का 5 प्रतिशत ग्रामीण एवं नगरीय निकायों के मध्य वितरित किया जाये। इस 5 प्रतिशत का 80 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं अर्थात् 4 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को वितरित किया जाये एवं शेष 20 प्रतिशत अर्थात विभाजनीय कोष का 1 प्रतिशत नगरीय निकायों के मध्य वितरित किया जाये।

विभाजनीय कोष एवं सौंपे गये कर राजस्व की गणना विगत वर्ष के कर राजस्व के आधार पर होगी जिसमें से कर वसूल करने पर होने वाले व्यय हेतु 10 प्रतिशत की राशि घटाई जाकर शुद्ध कर राशि की गणना की जाये। इस राशि में से पुनः स्थानीय, नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को सौंपे गये कर राजस्व को घटाने के बाद विभाजनीय कोष का निर्धारण किया जाये।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को स्वीकार किया गया।

2. कार्यों को संपादित करने के लिये अधिकार ग्राम सभा को हस्तांतरित किये गये हैं, अतः ग्राम पंचायतों के लिये निर्धारित विभाजनीय कोष (राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 4 प्रतिशत) का बंटवारा निम्न आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रत्येक गांव को निम्नानुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाए:—

1. प्रथम श्रेणी के 21527 गांव, जिनकी जनसंख्या 500 से कम है, तथा जिनकी कुल जनसंख्या 57.87 लाख होती है, को कर अंशभाग का 35 प्रतिशत आवंटित किया जाये जो किसी भी दशा में प्रति व्यक्ति रूपये 100/— प्रतिवर्ष से कम नहीं होगा अर्थात इस श्रेणी के गांवों को न्यूनतम प्रतिवर्ष कुल रूपये 57.87 करोड़ कर अंशभाग आवंटित किया जायेगा।
2. द्वितीय श्रेणी के 16235 गांव, जिनकी जनसंख्या 501 से 1000 तक है, तथा जिनकी कुल जनसंख्या 116.63 लाख होती है, को अंशभाग का 26 प्रतिशत आवंटित किया जाये जो किसी भी दशा में प्रति व्यक्ति रूपये 75/— प्रतिवर्ष से कम नहीं होगा अर्थात इस श्रेणी के गांवों को न्यूनतम प्रतिवर्ष कुल रूपये 87.50 करोड़ कर अंशभाग आवंटित किया जायेगा।
3. तृतीय श्रेणी के 7102 गांव, जिनकी जनसंख्या 1001 से 1500 तक है, तथा जिनकी कुल जनसंख्या 86.42 लाख होती है, को कर अंशभाग का 21 प्रतिशत आवंटित किया जाये जो किसी भी दशा में प्रति व्यक्ति रूपये 60/— प्रतिवर्ष से कम नहीं होगा अर्थात इस श्रेणी के गांवों को न्यूनतम प्रतिवर्ष कुल रूपये 51.85 करोड़ कर अंशभाग आवंटित किया जायेगा।
4. चौथी श्रेणी के 7235 गांव, जिनकी जनसंख्या 1500 से अधिक है, तथा जिनकी कुल जनसंख्या 182.89 लाख होती है, को कर अंशभाग का 18 प्रतिशत आवंटित किया

जाये जो किसी भी दशा में प्रति व्यक्ति रूपये 50/– प्रतिवर्ष से कम नहीं होगा अर्थात इस श्रेणी के गांवों को न्यूनतम प्रतिवर्ष कुल रूपये 91.45 करोड़ कर अंशभाग आवंटित किया जायेगा।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को स्वीकार किया गया।

3. 23040 ग्राम पंचायतों को पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर प्रतिव्यक्ति रु0 25 प्रतिवर्ष के हिसाब से कुल 110.95 करोड़ रु0 अनुदान दिया जाए जिससे ग्राम सभा द्वारा संधारण के कार्य के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के पास कुछ धन उपलब्ध हो जो अधोसंरचना सुधार पर खर्च हो। स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि करने एवं कर संग्रहण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह अनुदान उन्हीं ग्राम पंचायतों को दिया जायेगा जो स्थापित मानदण्ड के आधार पर कराधान करती हैं और करों की वसूली करती है। वितरण की योजना राज्य शासन द्वारा बनाई जायेगी।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि यह अनुदान उन ग्राम पंचायतों को दिया जाये जो कराधान करती हैं एवं उन करों की वसूली करती हैं। अनुदान की राशि सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायतों में कर की वसूल की गई राशि का 50 प्रतिशत (अधिकतम प्रति व्यक्ति रुपये 25/– प्रति वर्ष) एवं आदिवासी विकासखण्डों में स्थित ग्राम पंचायतों में 100 प्रतिशत (अधिकतम प्रति व्यक्ति रुपये 25/– प्रति वर्ष) रखी जाये। भुगतान का आधार पिछले वित्तीय वर्ष का आडिट प्रतिवेदन होगा।

4. जनपद पंचायतों के लिये प्रतिवर्ष 20 करोड़ तथा जिला पंचायतों के लिये 5 करोड़ के सामान्य उद्देश्य अनुदान की अनुशंसा की जाती है। इस राशि का आवंटन उन्हें जनसंख्या के अनुपात में किया जायेगा और इसका व्यय उनके द्वारा संधारित परिसम्पतियों के अनुरक्षण एवं कार्यो के निष्पादन हेतु किया जायेगा । आयोग की यह भी अनुशंसा है कि जनपद एवं जिला पंचायतों को ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था में सार्थक भूमिका दी जाये।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को स्वीकार किया गया।

5. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के मानदेय एवं भत्तों तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों के निर्धारण का निर्णय राज्य शासन द्वारा ही लिया जाता है। अतः इस प्रयोजन हेतु स्थापना अनुदान की पूर्व व्यवस्था को निरन्तर रखने की अनुशंसा की जाती है। इस मद पर होने वाला वास्तविक व्यय इन संस्थाओं को स्थापना अनुदान के रुप में उपलब्ध कराया जाये।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि स्थापना अनुदान की पूर्व से प्रचलित व्यवस्था को ही निरंतर रखा जाये।

6. ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित आस्तियों के रखरखाव हेतु रुपये 50 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की जाती है। इस अनुदान का वितरण पंचायत की जनसंख्या के आधार पर किया जाये।

राज्य शासन द्वारा इस हेतु वित्त आयोग की पूर्ण अवधि के लिये रूपये 50 करोड़ (रूपये 10 करोड़ प्रतिवर्ष) का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया।

7. जिन ग्राम पंचायतों द्वारा नल जल योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं और जिनके द्वारा जल दर निर्धारित कर उसकी नियमित वसूली की जा रही है, उन ग्राम पंचायतों को नल जल योजना के विद्युत व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाये।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि जल दर का निर्धारण होने पर एवं **80%** से अधिक वास्तविक वसूली को "पूरी वसूली" माना जाकर विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। भुगतान का आधार पिछले वित्तीय वर्ष का आडिट प्रतिवेदन होगा।

8. सौंपा गया राजस्व – इस राजस्व के बंटवारे में भू–राजस्व की शुद्ध प्राप्तियां एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के बंटवारे की वर्तमान व्यवस्था को निरन्तर रखने की आयोग अनुशंसा करता है।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को स्वीकार किया गया।

(ब) शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में :–

1. विभाजनीय कोष का 20 प्रतिशत भाग अर्थात् राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (कर वसूली व्यय 10 प्रतिशत एवं सौंपे गये करों को घटाने के बाद) का 1 प्रतिशत स्थानीय नगरीय निकायों को दिया जाये। इस कर राजस्व के अंश भाग का विभिन्न नगरीय निकायों में बंटवारा वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 45 प्रतिशत नगर पंचायतों को, 40 प्रतिशत नगरपालिकाओं को, 10 प्रतिशत उन नगर निगमों को जिन्हें जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीनीकरण योजनान्तर्गत कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है तथा 5 प्रतिशत जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीनीकरण योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त नगर निगमों को दिया जाये।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।

2. सौंपा गया कर राजस्व :– यात्री कर, प्रवेश कर एवं राज्य करों पर अधिभार/उपकर, जो वर्तमान में नगरीय निकायों को सौंपे गये है, की यथा स्थिति जारी रखने की अनुशंसा की जाती है।

यात्री कर समाप्त किया जा चुका है। यात्री कर समाप्त करने की एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष

2009–10 के स्तर पर ही आगामी 5 वर्षों के लिये भी विशेष अनुदान जारी रखने का निर्णय लिया गया। अन्य करों के विषय में आयोग की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।

3. <u>अनुदान</u> :– वैट कर प्रणाली लागू होने के पश्चात् वाणिज्यिक कर पर 15 प्रतिशत अधिभार दिनांक 31, मार्च, 2006 से समाप्त हो गया है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिये वैट से प्राप्त होने वाले राजस्व का 5 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रुप में दिया जाये।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को स्वीकार किया गया।

4. नगरीय निकाय विधिवत जल दर कायम कर पूरी तरह से वसूल करें तों इन्हें निम्न आधार पर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये :

1. नगर पंचायतों को जल प्रदाय पर होने वाले विद्युत व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान शासन दे। यही अनुदान हर उस नगरीय निकाय को दिया जाये जिसकी जन संख्या दस हजार से कम है।
2. दस हजार से बीस हजार की जन संख्या वाले नगरीय निकायों को जल प्रदाय पर होने वाले व्यय का 33 प्रतिशत् अनुदान के रुप में दिया जाये।
3. बीस हजार से पचास हजार की जन संख्या वाले नगरीय निकायों को जल प्रदाय पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत् अनुदान के रुप में दिया जाये।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि जल दर का निर्धारण एवं **90%** से अधिक वास्तविक वसूली को "पूरी वसूली" मानकर विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। यह राशि दस हजार से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों के लिये, विद्युत व्यय का **50%**, दस से बीस हजार जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये **33%** एवं बीस हजार से पचास हजार जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये **25%** होगी। भुगतान का आधार पिछले वित्तीय वर्ष का आडिट प्रतिवेदन होगा।

5. नगर पंचायतों तथा 50 हजार तक की जनसंख्या वाले नगरीय निकायों को रुपये 30 प्रति व्यक्ति रख रखाव इत्यादि के लिए विशेष अनुदान दिया जाए।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि यह अनुदान उन नगर पंचायतों तथा 50 हजार तक की जनसंख्या वाले नगरीय निकायों को दिया जाये जो कराधान करती हैं एवं करों की वसूली करती हैं। अनुदान की राशि, वसूली गई कर की राशि का 20 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 30 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष) होगी। भुगतान का आधार पिछले वित्तीय वर्ष का आडिट प्रतिवेदन होगा।

प्रशासनिक अनुशंसायें :-

1. राज्य सरकार पंचायत एवं नगरीय निकायों से संबंधित मांग संख्या को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि उन्हें हस्तांतरित होने वाली राशि इस प्रकार से परिलक्षित हो कि उनमें यह स्पष्ट ज्ञात हो सके कि इन निकायों को राज्य शासन के करों में कितना हिस्सा प्राप्त हो रहा है, उन्हें समनुदेशित करों का पृथक से उल्लेख हो तथा अनुदान भी स्पष्ट परिभाषित किये जाने चाहिये।

राज्य शासन द्वारा आयोग की अनुशंसा स्वीकार की गई।

2. राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की ऐसी योजनाओं के निष्पादन के लिये जो राशि राज्य के बजट के माध्यम से प्राप्त होगी , वे भी पृथक से योजनावार दर्शायी जानी चाहिये । वित्तीय हस्तांतरण का विश्लेषण वित्त सचिव के स्मृति पत्र में उल्लेखित होना चाहिये, जिससे हस्तांतरण के संबंध में और अधिक पारदर्शिता हो सकेगी। इससे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लेखांकन एवं आडिट इत्यादि में भी सुगमता होगी।

राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं के निष्पादन के लिये प्राप्त हो रही राशि को पृथक लघु शीर्ष/योजना वार दर्शाया जा रहा है। जहां तक वित्तीय हस्तांतरण का विश्लेषण वित्त सचिव के स्मृति पत्र में उल्लेखित करने का प्रश्न है, स्थानीय निकायों को हस्तांतरित राशियों का विवरण बजट के खण्ड-7 में पृथक से दर्शाया जा रहा है। अतः वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

3. जनपद स्तर पर आडिट समितियों का गठन किया जाये।

राज्य शासन द्वारा आयोग की अनुशंसा स्वीकार की गई।

4. पंचायतों के मासिक आय और व्यय तथा उनके द्वारा किये जा रहें कार्यो का विवरण एकत्रित करने के लिये 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सेल का गठन किया जाये।

राज्य शासन द्वारा आयोग की अनुशंसा स्वीकार की गई।

5. पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगरीय निकायों की आय और व्यय तथा नियोजित कार्यकलापों संबंधी आंकड़ों का निरन्तर संग्रह करने के लिये उपयुक्त एवं स्थायी व्यवस्था की जाये तथा इस प्रयोजन हेतु वित्त विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग एवं पंचायती राज संस्थाओं में एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाये, जिससे आंकड़ों का संग्रह प्रभावी ढंग से हो सके।

राज्य शासन द्वारा आयोग की अनुशंसा स्वीकार की गई।

6. प्रशिक्षण हेतु ग्राम स्वराज का दृष्टिकोण, धर्म निरपेक्षता, समानता, लिंगभेद तथा सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, सहभागिता, नियोजन, क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण, पारदर्शिता आदि मूलभूत सिद्वातों का समावेश होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधन, प्राकृतिक संपदा प्रबंधन, मानव संसाधन तथा आपदा प्रबंधन क्षेत्रों का समावेश भी आवश्यक है।

राज्य शासन द्वारा आयोग की अनुशंसा स्वीकार की गई।

7. राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग की निम्नांकित प्रशासनिक अनुशंसाओं पर पृथक से निर्णय लिया जा रहा है :–

1. प्रवेश कर सहित ऐसे सभी सौंपे गये राजस्व में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाये और यदि किन्हीं परिस्थितियों में छूट दिया जाना अपरिहार्य हो तो छूट की मात्रा के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति स्थानीय निकायों को की जाये। आयोग की यह भी अनुशंसा है कि स्थानीय निकायों द्वारा करों तथा राजस्व में वृद्वि के जो प्रस्ताव राज्य शासन को अनुमोदन हेतु भेजे जातें हैं उन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहियें । राजस्व में वृद्वि करने संबंधी किसी विधि सम्मत प्रस्ताव को राज्य शासन द्वारा निरस्त करने की स्थिति में स्थानीय निकाय को होने वाले राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन को करनी चाहिये।

2. पंचायतों के स्वयं के राजस्व में वृद्वि करने एवं उन्हें स्थानीय शासन की स्वतंत्र इकाई के रुप में स्थापित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को दिये गये करारोपण संबंधी प्राधिकार का पुनरीक्षण किया जाकर उन्हें पंचायतों को सौंपा जाये।

3. मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में धारा–77 के अधीन अधिरोपित किये जाने वाले करों को अनिवार्य एवं ऐच्छिक करों में विभाजित किया गया है। करों के इस वर्गीकरण को समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

4. जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों को यह समीक्षा करने का दायित्व सौंपा जाना चाहिये कि ग्राम पंचायतें एवं ग्राम सभा अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उन्हे सौंपे गये कराधान संबंधी प्रावधानों का समुचित प्रयोग कर रही है अथवा नहीं। जनपद एवं जिला पंचायत को यह अधिकार देना चाहिये के वे ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित किये जा रहे करों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा किया गया करारोपण उपयुक्त एवं पर्याप्त है। अपर्याप्त करारोपण की स्थिति में या तो वे स्वयं करारोपण कर सकतें हैं अथवा ग्राम पचायतों को ऐसा करने का निर्देश जारी कर सकते हैं।

5. पंचायतों को कृत्य, कर्मी एवं वित्त का हस्तांतरण एक चरणबद्व कार्यक्रम के अंतर्गत करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाये जो 11वीं अनुसूची में उल्लेखित कृत्यों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को हस्तांतरित की जाने वाली योजनाओं को चिन्हित करें। इन योजनाओं के

क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अमला भी पंचायतों के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाये।

6. राज्य स्तर एवं संभाग स्तर पर स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों में पर्याप्त अधोसंरचना का प्रबंध किया जाये। इन संस्थानों में छात्रावास की भी व्यवस्था हो तथा प्रत्येक संस्थान में पुस्तकालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक उपलब्ध रहे। प्रशिक्षण हेतु सेमीनार एवं वर्कशाप जैसी विधाओं का भी प्रयोग किया जाये। अनुकरणीय कार्यो से परिचित कराने के लिये शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किये जायें।

7. ग्राम पंचायत के सचिवों का जिला स्तरीय कॉडर होना चाहिए तथा इनके चयन में जिला पंचायत की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। पंचायत सचिवों के लिए निम्न श्रेणी लिपिक के समकक्ष वेतनमान निर्धारित होना चाहिए । न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करते हुए कम्प्यूटर के उपयोग संबंधी ज्ञान को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। पंचायत सचिवों पर प्रशासकीय नियंत्रण जिला एवं जनपद पंचायत का होना चाहिए एवं उनके विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए जिला पंचायत को अधिकार होने चाहिए । उनको पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होने चाहिये।

8. पंचायत सचिवों को जनपद पंचायत के अंतर्गत एक पंचायत से दूसरे पंचायत में स्थानांतरित करने का अधिकार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी में निहित होना चाहिए तथा एक जनपद से दूसरी जनपद में स्थित ग्राम पंचायत में स्थानांतरण का अधिकार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी में निहित होना चाहिए। स्थानांतरण करने के पूर्व पंचायत की दोनों इकाईयों अर्थात जिससे स्थानांतरण किया जा रहा है और जिसे स्थानांतरण किया जाना है , से परामर्श की व्यवस्था हो। इस परामर्श के उपरान्त ही जनपद अध्यक्ष के अनुमोदन से स्थानांतरण आदेश जारी होना चाहिये।

9. पंचायतों को सौंपे गये कार्यो से संबंधित अमले का हस्तांतरण चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत किया जाये।

8. राज्य वित्त आयोग की निम्नांकित प्रशासनिक अनुशंसाओं को, वर्तमान में आवश्यकता न होने के कारण, राज्य शासन द्वारा अमान्य किया गया–

1. क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर पंचायतों की संख्या का युक्तियुक्तकरण किया जाये। वर्तमान तीन से पांच पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत का गठन किया जाना चाहिये । पंचायतों के गठन के लिये यदि संसाधन को इकाई माना जावे तो मिली जल ग्रहण क्षेत्र को भी इकाई का आधार बनाया जा सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में पंचायतों को समूह में भी रखा जा सकता है।

2. जनपद पंचायत स्तर पर तकनीकी दक्षता वाले कर्मियों का एक पूल सृजित करना चाहिए, जिससे ग्राम पंचायत कार्यो एवं भुगतान के आधार पर उनकी सेवाऐं ले सकें।

सुझाव :–

राज्य शासन द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग के निम्नांकित सुझाव को छोडकर शेष सभी सुझावों को मान्य किया गया –

मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की समीक्षा, पुनरावलोकन एवं पुनरीक्षण के लिये एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाये जो अधिनियम के गहन अध्ययन के पश्चात् शासन को उचित सुझाव दे।

इस सुझाव पर राज्य शासन द्वारा पृथक से निर्णय लिया जा रहा है।

राघवजी
वित्त मंत्री

भोपाल,
दिनांक 05/02/2010